न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी—श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 161 सन् 2007
पंजीयन दिनांक 09.08.2007

1. बीजल पिता सवा जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. बग्गा पिता सवा जन्मजात अन्धा जरिये भाई बिजल पिता सवा जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. श्रीमती जतन पुत्री सवा पत्नि प्रभु जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी हाल मुकाम उदपुरा की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
4. श्रीमती गीता पुत्री सवा पत्नि खेमा जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी हाल मुकाम भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

—अपीलांटगण

विरूद्व

1. बक्षु पिता मिश्री जाति रेबारी मृतक के बजाय सरसी बेवा बक्षु जाति रेबारी के बजाय क्रेता
   1. नन्दा पिता नारायण जाति पूर्बिया गाडरी निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. शकीला बेगम पत्नि इसरार खां जाति मुसलमान निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. गिरवर पिता मिश्री जाति रेबारी मृतक के बजाय
   1. रोडीलाल पिता गिरवर जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. रामचन्द पिता मिश्री जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   3. गेरीबाई बेवा गिरवर जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ (मृत)
   4. श्रीमती बद्रीबाई पुत्री गिरवर पत्नि जगदीश जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी हाल मुकाम धावद तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   5. श्रीमती बब्बुबाई पुत्री गिरवर पत्नि राजाराम जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी हाल मुकाम मेवासा की ढाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 167 / 1992 अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.09.2005
संलग्न प्रकरण सं. 93 / 1999 संशोधित आदेश दिनांक 06.05.2006

उपस्थित– 1. सोहनलाल [illegible]णवा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. यशवन्तपुरी गोस्वामी –रेस्पोडेन्ट–2/2
3. छोगालाल जाट–रेस्पोडेन्ट– 1/2
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 3

निर्णय **दिनांक 28.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादीगण ने प्रकरण सं. 167/92 गिरवर बनाम बक्षु आदि एवं प्रकरण सं. 93/99 नन्दा बनाम गिरवर आदि को समेकित किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2003 को पारित की गई। जिसमे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 500/रू. पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि पक्षकारो के उपरोक्त हिस्से अनुसार विभाजन पक्षकारो के कब्जे को ध्यान मे रखते हुए बाय मिन्टस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर मौके के विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस न्यायालय मे पेश करे। उक्त प्राथमिक व डिक्री दिनांक 15.12.2003 की पालना मे फर्द बंटवाडा दिनांक 13.01.2004 को बनाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री 22.09.05 को पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 22.09.05 व संलग्न प्रकरण सं. 93/99 संशोधित निर्णय व दिनांक 06.05.2006 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। इस न्यायालय मे अपील अपीलान्टगण वादीगण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई व रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 22.09.05 व प्रकरण सं. 93/99 संशोधित आदेश दिनांक 06.05.06 के विरूद्ध प्रार्थीगण अपीलान्टगण की ओर से इस न्यायालय मे 16.07.2007 को अपील प्रस्तुत की गई। जो अपीलान्टगण की ओर से अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई। व म्याद को कन्डोन किये जाने हेतु अपीलान्टगण ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.05 की जानकारी अपीलान्टगण प्रार्थीगण को प्रथम बार 30.06.07 तथा 03.07.2007 को चालु जमाबन्दी की नकल लेने से हुई। व अंतिम रूप से दिनांक 11.07.07 को जिला रेकार्ड अधिकारी से प्राथमिक निर्णय एवं डिक्रियो की मय संशोधित आदेश की नकले मिलने एवं कानूनी सलाह मिलने पर वाद जानकारी यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। फिर भी जो देरी 22.09.05 से 15.07.07 तक हुई है उसे न्यायहित मे तथा सभी पक्षकारो के हित मे कन्डोन की जाकर अन्दर अवधि मानी जावे।

प्रार्थीगण अपीलान्टगण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रकरण सं. 162/92 मे वादी के रूप मे पक्षकार है। व वादीगण अपीलान्टगण एवं अपीलान्टगण के अधिवक्ता प्रकरण मे अंतिम निर्णय तक प्रभावी पैरवी हुई है। यहां तक कि अधिवक्ता की उपस्थिति मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण के द्वारा म्याद के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मे जो तथ्य अंकित किये गये है व स्वीकार योग्य नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मृतक बक्षु का हिस्सा नन्दा ने खरीदा था तथा उसी के हक व हिस्से को नन्दा ने भी रेस्पोडेन्ट शकीला बेगम को विक्रय कर दिया। जो उसके कब्जे काश्त मे होते हुए भी उनके नाम पर अंकित नही बताया जा रहा है। अपीलान्टगण ने यह तथ्य भी अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री मे भारी भूल हुई है व भारी विवाद स्थायी रूप से बन गया है जिसको तत्काल नही सुधारा गया तो अनेक मुकदमे बाजी बढ जायेगी तथा कानून व व्यवस्था बिगड जायेगी। अपील मे यह तथ्य भी अंकित किया कि अंतिम निर्णय व डिक्री अनाधिकृत रूप से दिनांक 13.01.04 के फर्द बंटवाडे से बनायी गयी है। चार पीढियो से जो हक व हिस्सा मौके पर अपीलान्टगण के कब्जे मे चला आ रहा है व उनके नाम अंकित नही होकर वर्तमान मे चालु जमाबन्दी मे रेस्पोडेन्टगण के नाम अंकित हो गई है जिसको सुधारा जाना व कब्जे के अनुसार बंटवाडा किया जाना था जिसको नही कर कमिश्नर के द्वारा मनमकसुद तरीके से फर्द बंटवाडा तैयार कर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र विभाजन का वादपत्र था। जिसमे अपीलान्टगण वादीगण का 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा था। व उसी अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे कब्जे को ध्यान मे रखते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर दिनांक 13.01.04 को फर्द बंटवाडा तैयार किया गया व उक्त फर्द बंटवाडा दिनांक 17.01.04 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ। उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्टगण ने दो अलग–अलग निर्णयो के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे भी अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील न्यायालय आप मे चलने योग्य नही है। जिससे भी अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना बताते हुए अपीलान्टगण की अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.05 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण के पक्ष मे दिनांक 15.12.03 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। जो तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे अपीलान्टगण वादीगण का 1/3 हक व हिस्सा नियुक्त किया गया है। व विभाजन हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को बाय मिन्टस एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिस पर तहसीलदार चित्तौडगढ कमिश्नर के द्वारा दिनांक 13.01.04 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर दिनांक 17.01.04 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात् उक्त प्रकरण मे लगभग 2 वर्ष के बाद बहस सुनी गई। उसके अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.03 की कोई अपील किसी न्यायालय मे नही की है जिससे अपीलान्टगण वादीगण प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे पारित आदेश मिन्टस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडे से सहमत रहे है। व उसी अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.05 मे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। अपीलान्टगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 167/1992 अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 22.09.2005 व प्रकरण सं. 93/1999 संशोधित आदेश दिनांक 06.05.2006 यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ